श की कमांक वं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3
10.10.2018	**उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।** स्टाम्प रिफण्ड वाद सं0 01/2017–18 रेखा देवी –बनाम– राज्य सरकार **–: आदेश :–** आवेदिका रेखा देवी, पति–दिलीप कुमार राम, वार्ड नं0 16, सा0–राजमहल, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के द्वारा साहेबगंज कोषागार से दिनांक 06.06.2017 को क्रय किये गये गैर न्यायिक मुद्रांक मो0 17,800.00 (सतरह हजार आठ सौ) रूपये का व्यवहार नहीं होने के कारण गैर न्यायिक मुद्रांक में निहित राशि प्रावधान के तहत् कटौती कर वापस करने हेतु दिनांक 14.11.2017 को मूल गैर न्यायिक मुद्रांक की मूल प्रति संलग्न करते हुए उनके अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है। आवेदिका द्वारा जिला कोषागार, साहेबगंज से क्रय की गई गैर न्यायिक मुद्रांक के संबंध में कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त की गई। कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका द्वारा टी0सी0 नं0 41 दिनांक 02.06.2017 द्वारा 17,800.00 (सतरह हजार आठ सौ) रूपये जमा के आधार पर कोषागार से एन0जे0 पेपर स्टाम्प निकासी की गई है। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। आवेदिका द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत गैर न्यायिक मुद्रांक वापसी हेतु आवेदन दी गई है। सभी तथ्यों से संतुष्ट होते हुए बिहार मुद्रांक एवं कोर्ट फी मेनुवल की धारा–54 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कुल 17,800.00 (सतरह हजार आठ सौ) रूपये का 10 प्रतिशत की दर से कुल 1,780.00 (एक हजार सात सौ अस्सी) रूपये कटौती करते हुए अवशेष राशि 16,020.00 (सोलह हजार बीस) रूपये मात्र भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। आवेदिका द्वारा समर्पित गैर न्यायिक मुद्रांक को रद्द किया जाता है। लेखापित एवं संसोधित। उपायुक्त, साहेबगंज। 23/10/18 उपायुक्त, साहेबगंज।	

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 12:48:17 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner